कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला नीमच म. प्र.

क्रमांक 856 /डूडा/योजना/2017 नीमच, दिनांक 26/09/2017

शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं को "हाउस कीपर कम कुक" प्रशिक्षण प्रदाय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण हेतु द्वितीय विज्ञप्ति

नीमच जिले में शासन आदेशानुसार मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजनान्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार एन.एस.क्यू.एफ कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाना है :-

कमांक	सेक्टर	कोर्स का नाम	कोर्स कोर्ड	एन.क्यूएफ लेवल	कोर्स अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	डोमेस्टिक वर्कस	"हाउस कीपर कम कुक"	DWC/Q/0101,V1.0	03	150 घंटे	80

संस्थाओं की पात्रता एवं विवरण निन्नानुसार हैं :-

1-एन.एस.डी.सी. से संबद्ध संस्थाए।

2-म. प्र. राज्य कौशल विकास मिशन से संबंधित कोर्स हेतु अधिकृत एजेंसी।

3-संबंधित स्वायत्त संस्थान। (Autonomous institution) संस्थाये आमंत्रण सूचना दिनांक के 15 वें दिवस को समय दोपहर 3 बजे तक सीलबंद लिफाफे में कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला नीमच (नवीन कलेक्टर कार्यालय परिसर कक्ष क्रमांक 28 में) प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

प्रशिक्षण प्रदाता संस्था हेतु शर्ते :-

1. संबंधित संस्थाओं को एन.एस.डी.सी. से संबद्ध संस्थाए, म. प्र. राज्य कौशल विकास मिशन से संबंधित कोर्स हेतु अधिकृत एजेंसी/स्वायत्त संस्था का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को कोर्स में तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य।दस्तावेज संलग्न करें।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का क्षेत्रफल, 10 वर्गफीट प्रति प्रशिक्षणार्थि अनुसार हो एवं अधोसंरचना एन.एस. डी.सी./एन.सी.व्ही.टी./पी.एन.के.वी.वाय के मापदण्ड अनुसार होना चाहिए।
4. प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय क्षेत्र में होना अनिवार्य है।
5. प्रशिक्षण प्रदाय संस्था किसी भी विभाग अथवा निकाय से ब्लेक लिस्टेड न हो इस आशय का शपथ पत्र संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था दवारा विगत दो वर्षों में किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यूनतम 50% सफल प्रशिक्षित अभियार्थियों का नियोजन किया गया हो । प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्य आदेश, नियोजकों एवं नियोजित अभियार्थियों की सूची एवं मोबाईल नंबर जानकारी सक्षम प्राधिकारी दवारा अनुमोदित कर प्रस्तुत करें ।

7. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर अनुबंध पत्र संपादित किये जाने के बाद 5% धरोहर शशी जमा करवाना अनिवार्य होगा ।
8. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने की स्थिति में अनुबंध को निरस्त किया जावेगा ।
9. आवेदित संस्था कार्यालय में उपस्थित होकर शर्ते एवं मार्गदर्शिका का भलीभाती अध्ययन करने के उपरान्त ही प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अतः पात्रता रखने वाली संस्थाएं डूडा कार्यालय में अपने आवेदन प्रस्ताव तय समय सीमा में प्रस्तुत कर सकते है , इसके बाद के आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर
एवं परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला नीमच म. प्र.

पृ.क्र. 857 / डूडा / योजना / 2017 नीमच, दिनांक 26 / 09 / 2017

प्रतिलिपि :-

1— अपर संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी नीमच की ओर भेजकर लेख है विज्ञप्ति जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

3— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला नीमच की ओर भेजकर लेख है कि आगामी समाचार पत्र में उक्त विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
एवं परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला नीमच म. प्र.